भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *193
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान

***193. श्री एस॰ आर॰ पार्थिबनः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित/स्वीकृत और उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार का अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए कोई और कार्यक्रम बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान" के संबंध में श्री एस॰ आर॰ पार्थिबन द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 04.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *193 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): यह मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों यथा जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा X तक के लिए।
(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा XI से पीएच.डी. तक।
(3) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए।
(4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः यूजीसी मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा जैसे एम.फिल एवं पीएच.डी. के लिए अध्येतावृत्ति।
(5) नया सवेराः निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रायोजित किया जाता है।
(6) "पढ़ो परदेश": विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।
(7) नई उड़ानः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायता।
(8) जियो पारसीः एक अनूठी योजना जिसका उद्देश्य भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकना है।
(9) नई रोशनीः अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास और सरकारी प्रणालियों, बैंकों और सभी स्तरों पर माध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीकें उपलब्ध करवाकर उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए विशेष योजना।
(10) सीखो और कमाओः रोजगार उन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम।
(11) नई मंजिलः स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।
(12) उस्तादः विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करना और हुनर हाटों के आयोजन।
(13) हमारी धरोहरः भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना।
(14) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके): बुनियादी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, अल्पसंख्यक बहुल कस्बों और निकटवर्ती ग्राम समूहों में कार्यान्वित किया गया है।
(15) शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता–अनुदान।
(16) स्व–रोजगार और आय–सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी।

(ख)**:** पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर हुआ कुल व्यय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ)**:** यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए शिक्षा, कौशल विकास, अवसंरचना विकास, वित्तीय समावेशन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान और शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर प्रभावी रूप से ध्यान दे रहा है।

*****